

राजस्थान सरकार के राज्यादेश दिनांक 04.10.2013 के द्वारा सहकारी सेवा के पदों का पुनर्गठन किया गया एवं अतिरिक्त रजिस्ट्रार(सी. स्केल) के 21 पदों का सृजन किया गया।

**पदोन्नति से भर्ती के लिए:**

पदों के वर्गों से अग्रणीयता आरक्षण(वैक जाग)		की गई भर्ती का विवरण					अग्रणीयता आरक्षण		नियुक्ति प्राधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर	विवरण (जिस वर्ग द्वारा उपयोग लिया गया)
अ. जा.	अ. जा.	भर्ती का वर्ष	रोस्टर एव बिन्दु संख्या	क्या अनारक्षित है अथवा अ.जा. / अ.ज. जा. के लिए आरक्षित है	नियुक्ति व्यक्ति का नाम एवं नियुक्ति तिथि	क्या अ.जा. / अ.ज. जा. है यदि नहीं तो नहीं लिखें	अ.जा.	अ.ज. जा.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	निल	2013-14	(1)UR		श्री आर के पुरी	नहीं				UR
		2013-14	(2)UR		श्री आर सी एस जोधा	नहीं				UR
		2013-14	(3)UR		श्रीमती मजरी भाती	नहीं				UR
		2013-14	(4)UR		श्री महन्द सिंह राठौड	नहीं				UR
		2013-14	(5)UR		श्रीमती शशीकला शर्मा	नहीं				UR
		2013-14	(6)UR		श्री विजय प्रकाश जाशी	नहीं				UR
		2013-14	(7)SC		श्री एम एल राठी (लिफाफा बद)	SC				SC
		2013-14	(8)UR		श्री युसुफ खान	नहीं				UR
		2013-14	(9) ST		श्री सीताराम मीणा(डेफर)	ST				ST
		2013-14	(10)UR		श्री शकील अहमद	नहीं				UR
		2013-14	(11)UR		श्री राजेन्द्र कुमार चौधरी	नहीं	2	1		UR
2	1	2014-15	(12)UR		श्री एन के मीयं	SC				SC
		2014-15	(13)SC		श्री परशुराम मीणा	ST				ST
		2014-15	(14)UR		श्री शिव कुमार बाकालिया	SC	1	1		SC
1	1	2015-16	(15)UR		श्री सुरन्द सिंह	नहीं				UR
		2015-16	(16)UR		श्री अजयवीर सिंह चौहान	नहीं				UR
		2015-16	(17)ST		श्री भारतभूषण शर्मा	नहीं				UR
		2015-16	(18)UR		श्री कमलेश कुमार मुप्ता	नहीं				UR
		2015-16	(19)SC		श्री योगेन्द्र सिंह यादव	नहीं				UR
		2015-16	(20)UR		श्री गंगासहाय मीणा	ST	2			ST
			(21)UR							

( नारायण सिंह )

संयुक्त सारसन सचिव

राजस्थान सरकार  
सहकारिता विभाग  
राजस्थान सहकारिता संस्थान, जयपुर

वित्त (नियम) विभाग से प्राप्त अशादीप क्रमांक प. 14(93)वित्त/नियम/2014/पार्ट-1 दिनांक 22.06.2015 द्वारा दी गई सहमति के अनुसार अतिरिक्त रजिस्ट्रार (सी. स्केल) के 20 पद स्वीकृत किये गये।

वित्त (व्यय-4) विभाग की आई डी संख्या 18100109 दिनांक 10.09.2016 द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में इस विभाग के आदेश दिनांक 01.03.2016 के द्वारा अतिरिक्त रजिस्ट्रार(सी. स्केल) के 13 पद निर्धारित किये गये।

	2016-17	(1)UR	श्री विजय कुमार शर्मा	नहीं					UR
	2016-17	(2)UR	श्री राजीव लोचन शर्मा	नहीं					UR
	2016-17	(3)UR	श्री विद्याधर गोदारा	नहीं					UR
	2016-17	(4)UR	श्री प्रदीप जैन	नहीं					UR
	2016-17	(5)UR	श्री सुधीर कुमार बसल	नहीं					UR
	2016-17	(6)UR	श्री गिरधारी लाल स्वामी	नहीं					UR
	2016-17	(7)SC	श्री मुकुन्द सिंह	SC					SC
	2016-17	(8)UR	श्री गोविंद लाल गोयल	नहीं	---	---			UR
---	2017-18	(9) ST	श्री आलाक भटनागर	नहीं					UR
	2017-18	(10)UR	श्री सोहन लाल लखानी	SC					SC
	2017-18	(11)UR	श्री दुर्गालाल बलाई	SC					SC
	2017-18	(12)UR	श्री मोहम्मद असलम	नहीं	---	---			UR
---	2018-19	(13)SC	श्री प्रेमप्रकाश मण्डात	नहीं					UR
	2018-19	(1)UR	श्री अनिल मेहता	नहीं					UR
	2018-19	(2)UR	सुश्री पूनम भार्गव	नहीं					UR
	2018-19	(3)UR	श्री वृजेन्द्र राजोरिया	SC	---	---			SC
---	2019-20	(4)UR	श्रीमती शोभिता शर्मा	नहीं	---	---			UR
---	2020-21	(5)UR	श्रीमती शिल्पी पाण्डे	नहीं	---	---			UR
---	2020-21	(6)UR	श्री श्याम लाल मोषा(लिफाफा बंद)	ST	---	---			ST

( नारायण सिंह )

संयुक्त शासन सचिव

संयुक्त शासन सचिव  
सहकारिता विभाग  
राज्य सहकारिता संस्थान, जयपुर

राजस्थान सरकार  
कार्मिक (क-2) विभाग

राजस्थान प्रमुख सचिव कार्यालय  
मुख्य सचिव कार्यालय एवं सचिव कार्यालय विभाग  
राजस्थान सचिव कार्यालय, जयपुर

5329  
81779  
जयपुर, दिनांक: 30/06/2021

प्रमाणिक सं. 7(2)कार्मिक/क-2/19

समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव/समस्त विभागाध्यक्ष (समाग्रीय आयुक्त एवं जिला कलेक्टर सहित)

परिपत्र

विषय:-रोस्टर पंजीयन संधारित किये जाने के सम्बन्ध में।

इस विभाग द्वारा समसंख्यक परिपत्र दिनांक 24.02.2020 (कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर उपलब्ध) के माध्यम से सीधी भर्ती/पदोन्नति द्वारा भरे जाने वाली पदों पर आरक्षण रोस्टर संचालन के संबंध में विस्तृत निर्देशक सिद्धान्त निर्गत किये गये हैं।

उक्त निर्देशों की कठोरता से पालना सुनिश्चित करवाने के उद्देश्य से इस विभाग के समसंख्यक परिपत्र दिनांक 29.05.2020 एवं दिनांक 27.07.2020 द्वारा सभी विभागों को अपने-अपने विभाग में सभी संवर्गों के लिए रोस्टर पंजीकरण संधारित कर दिनांक 31.08.2020 तक विभाग के शासन सचिव की ओर से इस आशय का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में प्रस्तुत करने हेतु निर्देश प्रसारित किये गये थे। उक्त निर्देशों की पालना नहीं किये जाने पर परिपत्र दिनांक 27.10.2020 एवं परिपत्र दिनांक 03.03.2021 द्वारा पुनः उक्तानुसार कार्यालय सुनिश्चित करने हेतु निर्देश जारी किये गये थे, परंतु कई विभागों द्वारा आदिनांक तक उक्त आशय का प्रमाण पत्र इस विभाग को प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिन विभागों द्वारा रोस्टर पंजीकरण संधारित कर लिए जाते हैं उन विभागों को उपलब्ध करवाया गया है उनके अवलोकन से यह पाया गया है कि कुछ विभागों द्वारा रोस्टर पंजीयन निष्पत्ति प्रारूप में संधारित नहीं की गई है।

इस क्रम में सभी संबंधित को स्पष्ट किया जाता है कि दिनांक 15.07.2021 तक आवश्यक रूप से उक्त संवर्गों के लिए रोस्टर पंजीकरण कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 24.02.2020 द्वारा निर्धारित प्रारूप में संधारित कर इस आशय का प्रमाण पत्र कार्मिक विभाग में प्रेषित करने के साथ ही उक्त रोस्टर पंजीकरणों को विभाग की वेबसाईट पर भी अद्यतन करावें एवं उसका एक लिंक (सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के रोस्टर हेतु एक ही लिंक) कार्मिक विभाग की ई-मेल आई.डी. itell.dop@rajasthan.gov.in पर भिजवाने का क्रम करें, ताकि उक्त कार्मिक विभाग की वेबसाईट पर भी उपलब्ध करवाया जा सके।

अद्यतन संधारित रोस्टर पंजीकरण के अभाव में पदोन्नति/भर्ती नहीं होने पर इसकी समस्त जिम्मेदारी संबंधित विभागाध्यक्ष की होगी।

806389

8/17/2021

(निरजन आर्य)

मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. प्रमुख सचिव, मातृ मुख्यामंत्रि, राजस्थान।
2. सचिव, राजत लोक सेवा आयोग, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालायक सेवा कर्मचारी बोर्ड, जयपुर।
4. अतिरिक्त सचिव, मुख्य सचिव।
5. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव गण।
6. संकलन पत्रावली।

सयुक्त शासन सचिव